

बाघ संरक्षण पर चौथा एशिया मंत्रसित्रीय सम्मेलन

प्रलिस के लयः

बाघ की संरक्षण स्थति, सुनश्चिति संरक्षण, टाइगर स्टैंडर्ड्स (CAITS), ग्लोबल टाइगर समटि, प्रोजेक्ट टाइगर

मेन्स के लयः

बाघ संरक्षण और इससे संबंघति पहल का महत्त्व, जैव वविधिता के नुकसान के कारण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बाघ संरक्षण पर चौथा एशिया मंत्रसित्रीय सम्मेलन आयोजति कयि गया है ।

- भारत के [राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधकिरण](#) ने बाघों के पुनरुत्पादन के लयि दशिा नरिदेश जारी करने का नरिणय लयि है जनिका उपयोग अन्य बाघ रेंज वाले देशों द्वारा कयि जा सकता है ।

प्रमुख बदि

परचियः

- ग्लोबल टाइगर रकिवरी प्रोग्राम की प्रगति और बाघ संरक्षण के प्रतिप्रतबिद्धताओं की समीक्षा के लयि यह सम्मेलन महत्त्वपूर्ण है ।
- इसका आयोजन मलेशयिा और ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF) द्वारा कयि गया था ।
- भारत इस वर्ष (2022) के अंत में रूस में होने वाले ग्लोबल टाइगर समटि के लयि नई दलिी घोषणा को अंतमि रूप देने की दशिा में बाघ रेंज वाले देशों को सुवधिा प्रदान करेगा ।
 - वर्ष 2010 में नई दलिी में एक "प्री-टाइगर समटि" आयोजति की गई थी, जसिमें ग्लोबल टाइगर समटि के लयि बाघ संरक्षण के मसौदा को अंतमि रूप दयि गया था ।
 - भारत, बाघ रेंज वाले देशों के अंतर-सरकारी मंच [ग्लोबल टाइगर फोरम](#) के संस्थापक सदस्यों में से एक है ।
 - पछिले कुछ वर्षों में GTF ने भारत सरकार, भारत में बाघ राज्य और बाघ रेंज वाले देशों के साथ मलिकर कार्य करते हुए कई वषियगत कषेत्रों पर अपने कार्यक्रम का वसितार कयिा है ।
 - GTF में बाघ रेंज वाले देशः बांग्लादेश, भूटान, भारत, कंबोडयिा, नेपाल, म्याँमार और वयितनाम ।

बाघ संरक्षण का महत्त्वः

- पारसिथितिकि प्रकरयिाओं को वनियिमति करने में महत्त्वपूर्णः
 - बाघ एक अनूठा जानवर है जो कसिी स्वास्थय पारसिथितिकि तंत्र और उसकी वविधिता में महत्त्वपूर्ण भूमकिा नभिता है ।
 - वनों को स्वच्छ हवा, पानी, परागण, तापमान वनियिमन आदि जैसी पारसिथितिकि सेवाएँ प्रदान करने के लयि जाना जाता है ।
 - खाद्य शृंखला बनाए रखनाः
 - यह खाद्य शृंखला का एक उच्च उपभोक्ता है जो खाद्य शृंखला में शीर्ष पर है और जंगली (मुख्य रूप से बड़े स्तनपायी) आबादी पर नरिंत्रण रखता है ।
 - इस प्रकार बाघ शकिार द्वारा उन शाकाहारी जंतुओं और उस वनस्पतयिों के मध्य संतुलन बनाए रखने में मदद करता है जनि पर वह भोजन के लयि नरिभर होता है ।

बाघ संरक्षण की स्थतिः

- भारतीय वनयजीव (संरक्षण) अधनियिम, 1972: अनुसूची- I
- अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) रेड लिस्ट: लुप्तप्राय
- वनयजीवों और वनस्पतयिों की लुप्तप्राय प्रजातयिों के अंतरराष्ट्रीय वयापार पर कनवेंशन (CITES): परशिषिट- I

भारत की बाघ संरक्षण स्थतिः

- भारत वैश्वकि स्तर पर बाघों की 70% से अधिक आबादी का घर है ।

- भारत के 18 राज्यों में कुल 53 बाघ अभयारण्य हैं और वर्ष 2018 की अंतिम गणना में इनकी आबादी में वृद्धि देखी गई।
 - **गुरु घासीदास (छत्तीसगढ़)** 53वाँ टाइगर रज़िर्व है।
- भारत ने बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा (St. Petersburg Declaration) से चार वर्ष पहले बाघों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल किया।
- भारत की बाघ संरक्षण रणनीति में स्थानीय समुदायों को भी शामिल किया गया है।

■ उठाए गए कदम:

○ कंज़र्वेशन एशयोरड/टाइगर स्टैंडर्ड्स (CA|TS):

- भारत में 14 टाइगर रज़िर्व को पहले ही कंज़र्वेशन एशयोरड | टाइगर स्टैंडर्ड्स (CA|TS) से सम्मानित किया जा चुका है तथा अधिक से अधिक टाइगर रज़िर्व को (CA|TS) के तहत लाने के लिये प्रयास जारी हैं।

○ प्रोजेक्ट टाइगर:

- यह वर्ष 1973 में शुरू की गई पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करती है।

○ बजटीय आवंटन:

- बाघों के संरक्षण के लिये बजटीय आवंटन वर्ष 2014 में 185 करोड़ रुपए था जसै वर्ष 2022 में बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

○ फ्रंटलाइन स्टाफ की मदद करना:

- फ्रंटलाइन स्टाफ जो कि बाघ संरक्षण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, के लिये श्रम और रोजगार मंत्रालय की हालिया पहल **ई-श्रम** के तहत प्रत्येक संवेदि/अस्थायी कार्यकर्त्ता को 2 लाख रुपए का जीवन कवर और **आयुष्मान योजना** के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया गया है।



स्रोत: पी.आई.बी.